फद अहकाम

गोपाल व अन्य / रामसिंह व अन्य

बनाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 02/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। अन्य राजकार्य की व्यस्तता के निर्णय नहीं सुनाया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 06/03/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
06/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षकारान के अभिकथनों, साक्ष्य दस्तावेज के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आलोच्य भूमि वादग्रस्त ख.नं. 1654/1955 रकबा 0.06 हे. वाके ग्राम [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर वादीगण की अभिलिखित खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रतिवादीगण का अविधिक हस्तक्षेप प्रदर्शित होता है। जो प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को स्वयं की अधिकारिता की भूमि होना तथा भूमि पर कब्जा काश्त भी होने सम्बन्धी लिखित अभिकथन से स्वीकार्य भी सिद्ध होता है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा भूमि की अधिकारिता/खातेदारी प्राप्त करने [illegible] प्रक्रियात्मक कार्यवाही [illegible] प्रतिवाद (काउन्टर [illegible]) [illegible] किया गया है। जबकि वादीगण [illegible] से स्वयं की प्रचलित अभिलिखित खातेदारी की भूमि की रक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा मांग के परिप्रेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है। [हस्ताक्षर]	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

गोपाललाल कुम्हार बनाम राजकीय व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 02/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	06/3/24	जिसका प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य से खंडन भी नहीं किया गया अतः वाद वादीगण स्वीकार / डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम रामपुरा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अराजी भूमि ख.नं. 1654/1955 रकबा 0.06 हे. जो कि वादीगण की खातेदारी / कब्जेकाश्त की भूमि है, में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट, दखल, हस्तक्षेप व वादीगण को भूमि के उपभोग, उपयोग में कोई बाधा कारित ना करे, ना ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण कब्जा व कोई निर्माण कार्य करें। निर्णय सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 02/2018 **निर्णय दिनांक : 06.03.2024**

1.गोपाल पुत्र भूरा
2.हनुमान पुत्र झूथा
जाति अहीर, निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत
2. भंवर सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत (मृतक) (नाम हजफ)
3. कान सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत
   समस्त निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर

–मुख्य प्रतिवादीगण

4. मोती पुत्र बीजा (मृतक) (नाम हजफ)
5. सेडी पत्नी कालूराम
6. जगदीश पुत्र कालूराम
7. नरसी पुत्र कालूराम
8. लल्लूराम पुत्र कालूराम
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला, जयपुर, राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर जिला जयपुर।
10. पुलिस थाना चन्दवाजी जरिये थाना अधिकारी, थाना चन्दवाजी जयपुर।
11. बैंक शाखा प्रबंधक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर शाखा चौमू जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

उभयपक्षकारान के अभिकथनों, साक्ष्य दस्तावेज के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त खसरा नं. 1654/1955 रकबा 0.06 है. वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर वादीगण की अभिलिखित खातेदारिता की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का अविधिक हस्तक्षेप प्रदर्शित होता है, जो प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को स्वयं की अधिकारिता की भूमि होना तथा भूमि पर कब्जा काश्त भी होने संबंधी लिखित अभिकथन से स्वीकार्य भी सिद्व होता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भूमि की अधिकारिता/खातेदारिता प्राप्त करने हेतु कोई विधिक प्रकियात्मक कार्यवाही यथा नियमित वाद/प्रतिवाद (काउण्टर क्लेम) भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि वादीगण की ओर से स्वयं की प्रचलित अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की रक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा मात्र के परिप्रेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी मान्य साक्ष्य से खण्डन भी नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.न. 1654/1955 रकबा 0.06 है. जो कि वादीगण की प्रचलित खातेदारिता/सहखातेदारिता की भूमि है, में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप, दखलअंदाजी व वादीगण को भूमि के उपयोग, उपभोग में कोई अन्य कारित ना करें, ना ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का अविधिक कब्जा व कोई निर्माण कार्य करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.03.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत .....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा .....मुख्यालय जयपुर.....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदालेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 02/2018
निर्णय दिनांक : 06.03.2024

1.गोपाल पुत्र भूरा
2.हनुमान पुत्र झूथा
जाति अहीर, निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत
2. भंवर सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत (मृतक) (नाम हजफ)
3. कान सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत
समस्त निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर

–मुख्य प्रतिवादीगण

4. मोती पुत्र बीजा (मृतक) (नाम हजफ)
5. सेडी पत्नी कालूराम
6. जगदीश पुत्र कालूराम
7. नरसी पुत्र कालूराम
8. लल्लूराम पुत्र कालूराम
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला, जयपुर, राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर जिला जयपुर।
10. पुलिस थाना चन्दवाजी जरिये थाना अधिकारी, थाना चन्दवाजी जयपुर।
11. बैंक शाखा प्रबंधक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर शाखा चौमू जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1955 रकबा 0.06 है. के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का मुख्य रूप से प्रतिवादीगण 01 ता. 3 के विरूद्व प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि राजस्व ग्राम रूण्डल तहसील जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 1486/2334, 1487, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649/2380, 1650, 1652, 1654, 1654/1955, 1654/2385, 1656, 1657, 1658, 1659, 1722/2612 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 3.01 है. के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता. 8 रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अपनी सहखातेदारिता की उक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर भूमि का उपयोग, उपभोग करते आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि से भूमि ख.न. 1654/1955 रकबा 0.06 है. जो कि रूण्डल–मानपुरा माचेडी रोड के पश्चिम दिशा की ओर लगती हुई कृषि भूमि है, वादग्रस्त भूमि है। तथा उक्त खसरा नम्बरान सह खातेदारान की आपसी मनबट के अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग की भूमि होने के कारण वादीगण द्वारा ही उक्त आराजीयात बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की उक्त कब्जेशुदा भूमि आराजी ख. नं. 1654/1955 से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 का कोई संबंध सरोकार नहीं है, ना ही भूमि के अभिलिखित खातेदार/सहखातेदार काश्तकार है किन्तु फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के उदेश्य से वादीगण की उक्त आराजीयात में अनैतिक रूप से घुसने की कोशिश करते रहते है। जिसका उन्हें कानूनन कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण की खातेदारी की भूमि पूर्व दिशा में सड़क के दूसरी ओर सटती हुई है परन्तु वादीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादीगण की कब्जे काश्तशुदा आराजी ख. नं. 1654/1955 राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज अंकित है किन्तु प्रतिवादीगण 1 ता. 3 उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार होने के कारण आये दिन वादीगण की उक्त भूमि ख. नं. 1654/1955 में उक्त खसरा नम्बर को स्वयं का बताते हुए जबरन उक्त भूमि में अवैध निर्माण कार्य करने व अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसके अनुसार ही हाल में दिनांक 15.03. 2018 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 द्वारा कुछ दीगर व्यक्तियों के साथ वादीगण की उपरोक्त कब्जे काश्तशुदा आराजीयात के खसरा नम्बर 1654/1955 में अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

2018 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 द्वारा कुछ दीगर व्यक्तियों के साथ वादीगण की उपरोक्त कब्जे काश्तशुदा आराजीयात के खसरा नम्बर 1654/1955 में अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तथा उक्त भूमि को अपनी खातेदारिता की भूमि होना बताते हुए धमकी दी गई। जिस पर वादीगण द्वारा सक्षम थानाधिकारी के समक्ष एफ.आई.आर प्रस्तुत की गई। जिस पर थानाधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। जिससे उक्त वाद कारण अनुसार वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। वादीगण उक्त भूमि आराजीयात के अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अपनी खातेदारिता की कब्जे काश्तशुदा भूमि का उपयोग, उपभोग करते हुए आ रहे है तथा प्रतिवादीगण 1 ता. 3 को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण 1 ता. 3 को वादीगण की कब्जे काश्तशुदा कृषि भूमि में मजाहमत व मदाखलत नहीं करने बाबत पाबंद किया जाना आवश्यक है। जिससे वादीगण अपनी भूमि का निर्बाध उपयोग, उपभोग कर सके। अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण 1 ता. 3 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.न. 1486/2334, 1487, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649/2380, 1650, 1652, 1654, 1654/1955, 1654/2385, 1656, 1657, 1658, 1659, 1722/2612 कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 3.01 है. के शामलाती हिस्से वाली भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1955 रकबा 0.06 है. में अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश ना करें तथा ना ही विशिष्ट विधिक प्रकिया के अभाव में उक्त खसरा नम्बर में कोई कच्चा पक्का निर्माण अथवा वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी, मदाखलत नहीं करें।

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं-

1. वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2070-2073 की सत्यापित प्रति। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त के वादीगण संख्या 1 व 2 1/2 हिस्से के सहखातेदार तथा 1/2 हिस्से के सहखातेदार औपचारिक (तरतीबी) प्रतिवादीगण संख्या 4 ता. 8 है, किन्तु उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 का कोई संबंध सरोकार प्रदर्शित नहीं होता है।
2. वादग्रस्त भूमि के संबंध में हाल नजरी नक्शा की सत्यापित प्रति।
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चन्दवाजी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (एफ.आई.आर दर्ज करने बाबत) की **छायाप्रति** (दिनांक अंकित नही)।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.04.2018 को नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में नियत तारीख पेशी दिनांक 20.04.2018 को मुख्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता .3 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति प्रस्तुत कर जवाब दावा हेतु अवसर चाहा गया तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 5 ता. 8 की ओर से बावजूद विधिवत तामिल नोटिस के उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण संख्या 5 ता. 8 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार विधिक प्रकिया के अन्तर्गत प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 का नाम प्रकरण से हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 का जवाब प्राप्त किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नं. 1654/1955 रकबा 0.06 है. (जो कि रूण्डल-मानपुरा माचेडी रोड के पश्चिम दिशा की ओर लगती कृषि भूमि होना बताया गया है) को वादीगण के स्वामित्व, कब्जा काश्त की भूमि होना असत्य बताते हुए उक्त भूमि को पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो के नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना तथा भूमि का मूल रकबा 0.06 है. ना होकर 0.08 है. होना अभिव्यक्त किया गया है तथा अभिकथन किया गया है कि वादीगण ने साजिश पूर्वक राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नं. 1654/1955 रकबा 0.06 है. दर्ज करवाया है जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वज अपने पूर्वजों के काल से ही काबिज रहे है जिनके पश्चात प्रतिवादीगण निरन्तर बदस्तूर काबिज है। वादीगण द्वारा असत्यों कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण को कानूनी प्रकियाओं में उलझाने मात्र के उदेश्य से हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त आराजी खसरा के संदर्भ में स्वयं वादीगण द्वारा दिनांक 10.09.2021 को पंचो के सामने 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर कथन किया गया है तथा वादी को भली-भांति विदित है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी खसरा नं. 1654/1955 पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि के चारों ओर तार फेंसिंग भी प्रतिवादीगण द्वारा कराई जा चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से यह भी अभिकथित किया गया है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज ने प्रतिवादीगण संख्या 3 ने 100 रूपये स्टाम्प पेपर दिनांक 14.09.2001 पर लिखावट के जरिये 151 फीट चौड़ी व 106 फीट लम्बा है। तथा यह भी इकरार किया गया कि आराजी भूमि खसरा नं. 1654/1955 रकबा 0.06 है. सदैव से ही प्रतिवादी रामसिंह के कब्जे में रही है जो किसी कारणवश हमारी (वादीगण) की खातेदारी में चढ गई है। जिसकी रामसिंह (प्रतिवादी 1) कभी भी गिरदावरी अनुसार दुरूस्ती करवा सकते है तथा हम (वादीगण) कभी भी रामसिंह (प्रतिवादी 1) को इस जमीन से बेदखल नहीं करेंगे। मौके पर इस

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

जमीन की सीमा रोड से नापकर नक्शे के मुताबिक और रास्ते की जमीन सहित नाप के मुताबिक छोड देंगे। उक्त लिखावट दिनांक 15.09.2001 को नोटेरी अटेस्टेट करवाकर निष्पादित की गई। वर्तमान में मोती पुत्र बींज्या व कालू पुत्र झूथा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके पश्चात वादीगण उक्त भूमि को हडपने की नियत से जमाबंदी का सहारा लेकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की भूमि को हडपना चाहते है। जबकि तत्कालीन राजस्व रिकॉर्ड विधिवत देखकर ही वादीगण द्वारा उक्त लिखावट/इकरारनामा तस्दीक करवाया गया है। जो बाकायदा वादीगण व अन्य द्वारा पंच पटेलों के समक्ष लिखावट किया गया है तथा अब वादीगण द्वारा 17 वर्ष उपरान्त अपनी लिखावट को नजरअंदाज कर भूमि को हडपने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वादीगण के पास कब्जा काश्त बाबत कोई पर्चा लगान अथवा मान्य राजस्व दस्तावेज नहीं है मात्र जमाबंदी में गलत इन्द्राज को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य से खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजांत पेश किये गये–

1. अप्रमाणित/छायाप्रति : भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान सम्वत 2046–2065 वर्ष 2009 की छायाप्रति।
2. अप्रमाणित/असत्यापित प्रति : भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा नोटिस।
3. अप्रमाणित/असत्यापित प्रति : नक्शा ट्रेस।
4. अप्रमाणित/असत्यापित प्रति : इकरार नामा दिनांक 14.09.2001।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वे ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 4 लगायत 8 कि सहखातेदारिता की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1955 रकबा 0.06 है. में अवैध रूप से कब्जा ना करें तथा विवादित भूमि की सीमा पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी एवं बिना विधिक प्रकिया के अभाव में वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा आदि उत्पन्न ना करें तथा मौके की तथास्थिति बनाये रखे।

–वादीगण

2. आया विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1955 रकबा 0.06 है. प्रतिवादी 1 के पूर्वजों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। जिसका रकबा भी 0.06 है. ना होकर 0.08 है. दर्ज रहा है। वादीगण ने साजिश पूर्वक उक्त भूमि रकबा कम अंकन करवाते हुये स्वयं के नाम दर्ज करवा ली है।

–प्रतिवादी सं. 1 व 3

3. आया आराजी खसरा नम्बर 1654/1955 रकबा 0.06 है. पिछले 100 वर्षों से प्रतिवादीगण के पूर्वज व उसके पश्चात प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते आ रहे है।

–प्रतिवादी सं. 1 व 3

4. आया वादीगण व उनके पूर्वजों ने दिनांक 15.09.2001 को विवादित आराजी बाबत एक इकरारनामा/राजीनामा इस आशय का लिखकर निष्पादित करवाया था कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जो किसी कारण से वादीगण की खातेदारी में अंकित हो गई है तथा प्रतिवादी सं. 1 की उक्त भूमि में से वादीगण द्वारा उनकी ढाणी में जाने हेतु रास्ता निकालने हेतु भूमि ली गई है। जिसके बदले में वादीगण द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी 1 को रास्ते के बदले भूमि दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादी सं. 1 व 3

5. अनुतोष ?

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

कायम तनकीयात के क्रम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादीगण गोपाल पुत्र भूरा राम तथा हनुमान पुत्र झूथा के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्व करवाये गये। जिनसे प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 08.02.2023 को साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह पुत्र किशोर सिंह का प्रस्तुत किया गया परन्तु निरन्तर अवसरों के उपरान्त भी प्रतिवादी गवाह के जिरह/बयान हेतु उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 12.07.2023 को प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली में बहस अंतिम हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.07.2023 नियत की गई। जिसके क्रम में निरन्तर तारीख पेशियों पर बहस अंतिम हेतु अवसर चाहे जाते रहने व बहस प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी अधिवक्ता को न्यायालय आदेश दिनांक 14.02.2024 द्वारा सर्वथा अंतिम अवसर प्रदत्त किये जाने पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.02.2024 को प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से बहस अंतिम प्रस्तुत नहीं करते हुए साक्ष्य, जिरह का अवसर प्रदत्त किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो बाद सुनवाई निर्णित किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा बहस अंतिम प्रस्तुत नहीं करने पर वादी पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई।

हमने वादी पक्ष की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध/प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत अभिकथनों व प्रस्तुत दस्तावेजात के समग्र विवेचन उपरान्त प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है–

तनकी संख्या 1 : इस तनकी को सिद्व करने की भारिता वादीगण पर थी। जिस हेतु वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत 2070–2073 दिनांक 22.03.2018 में प्रदर्शित अनुसार यह स्पष्ट होता है कि भूमि वादग्रस्त वादीगण की अभिलिखित खातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध प्रदर्शित नहीं होता है, ना ही प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि कभी रही हो, जबकि स्वयं प्रतिवादीगण के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अपनी होना व्यक्त करते है तथा स्वयं को भूमि पर काबिज होना बताया गया है जिससे उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का दखल स्वतः ही प्रदर्शित/स्वीकार्य सिद्व होता है। अतः चूंकि भूमि वादीगण की खातेदारिता की भूमि स्पष्ट सिद्व होती है जिससे वादीगण की प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने की अधिकारिता भी स्वतः ही सिद्व होती है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय निस्तारित की जाती है।

तनकी संख्या 2 : इस तनकी को सिद्व करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिस हेतु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई मान्य साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त कभी प्रतिवादीगण अथवा इनके पूर्वजों के नाम दर्ज अंकित रही हो। जो कालान्तर में वादीगण द्वारा साजिशपूर्वक स्वयं के नाम करवा ली गई हो। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से स्वयं की अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की रक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा मात्र के अनुतोष के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण के कथन घोषणात्मक अनुतोष से संबंधित है। जिसके संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से कोई नियमित वाद अथवा प्रतिवाद (काउण्टर क्लेम) भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जो दस्तावेजात प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किये गये है वे सक्षम व समर्थ साक्ष्य दस्तावेजात नहीं है, ना ही प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। प्रतिवादीगण के प्रस्तुत दस्तावेजात अप्रमाणित/असत्यापित छायाप्रति दस्तावेज है जो साक्ष्य हेतु विधि द्वारा वर्जित है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय/निस्तारित की जाती है।

तनकी संख्या 3 : इस तनकी को सिद्व करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिस हेतु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो 100 वर्षो से प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त को प्रमाणित करता है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय/निस्तारित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

तनकी संख्या 4 : इस तनकी को सिद्व करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिस हेतु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज/रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह स्पष्ट करता हो कि भूमि वादग्रस्त पूर्व में कभी प्रतिवादीगण के पूर्वजो अथवा स्वयं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित रही हो जो कालान्तर में वादीगण के नाम गलत आधार पर दर्ज कर दी गई हो/दर्ज करवा ली गई हो, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अथवा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त की प्रमाणिकता को सिद्व करता हो। जो अपंजीकृत दस्तावेज (इकरारनामा) वादीगण की स्वयं की स्वीकार्यता स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वह भी छायाप्रति दस्तावेज व अपंजीकृत दस्तावेज होने से अमान्य दस्तावेज है जो प्रमाणिक व सक्षम दस्तावेज नहीं है। जबकि वादीगण द्वारा उक्त इकरारनामा को नकारा गया है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय/निस्तारित की जाती है।

अनुतोष : चूंकि तनकी संख्या 1 को सिद्व करने की भारिता वादीगण पर थी। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज से बखूबी सिद्व होती है तथा तनकी संख्या 2, 3, 4 को सिद्व करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जो प्रतिवादीगण द्वारा सिद्व नहीं जा सकी है। निष्कर्षतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्याय न्योचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभयपक्षकारान के अभिकथनों, साक्ष्य दस्तावेज के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त खसरा नं. 1654/1955 रकबा 0.06 है. वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर वादीगण की अभिलिखित खातेदारिता की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का अविधिक हस्तक्षेप प्रदर्शित होता है, जो प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को स्वयं की अधिकारिता की भूमि होना तथा भूमि पर कब्जा काश्त भी होने संबंधी लिखित अभिकथन से स्वीकार्य भी सिद्व होता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भूमि की अधिकारिता/खातेदारिता प्राप्त करने हेतु कोई विधिक प्रक्रियात्मक कार्यवाही यथा नियमित वाद/प्रतिवाद (काउण्टर क्लेम) भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि वादीगण की ओर से स्वयं की प्रचलित अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की रक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा मात्र के परिप्रेक्ष्य में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी मान्य साक्ष्य से खण्डन भी नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादीगण स्वीकार/डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.न. 1654/1955 रकबा 0.06 है. जो कि वादीगण की प्रचलित खातेदारिता/सहखातेदारिता की भूमि है, में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप, दखलअंदाजी व वादीगण को भूमि के उपयोग, उपभोग में कोई बाधा कारित ना करें, ना ही उक्त भूमि में किसी प्रकार का अविधिक कब्जा व कोई निर्माण कार्य करें।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा राठौड)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested